

1/10

जिला सेनानी नगर सेना एवं जिला अग्निशमन अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़

क्रमांक/656 /फायर सर्विस/2019 दुर्ग, दिनांक 16/11/2019


—: अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती विपिन कुमार (प्राचार्य) के रामनगर, भिलाई में स्थित शकुन्तला विद्यालय का इस विभाग के कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी श्री माईकल सेन्टियागो द्वारा श्री विपिन कुमार की उपस्थिति में दिनांक 15.11.2019 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV के अनुसार अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की आवश्यकता संबंधित निरीक्षण किया गया। निम्न शर्तों के अधीन 01 वर्ष की अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

1. सभी अग्नि सुरक्षा यंत्र/प्रणाली एवं निकास द्वार व्यावधान रहित चालू हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो प्रमाण-पत्र को निरस्त माना जायेगा।
3. अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाये एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉकड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जाए।
4. बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लाज का कड़ाई से पालन किया जाए।
5. मकान मालिक/कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।

जारी दिनांक 16-11-2019

  
जिला अग्निशमन अधिकारी एवं जिला सेनानी  
प्राधिकृत अधिकारी-दुर्ग हस्ताक्षर